

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 465 / 2004
संस्थान दिनांक 31.08.2004

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र ठीकरी,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. संजय पिता छगन, आयु 30 वर्ष,
निवासी-तलाईपुरा, ग्राम रणगौव
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.
2. गजानंद उर्फ गज्जु पिता मांगीलाल, आयु 35 वर्ष
निवासी-इन्दौर, जिला इन्दौर म.प्र.
3. पंचम पिता ठाकुर, आयु 29 वर्ष,
निवासी-देवास, जिला देवास म.प्र.
4. संगीता पिता तुकाराम, आयु 30 वर्ष
निवासी-तलाईपुरा, ग्राम रणगौव
तहसील ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 27.05.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी द्वारा अपराध क्रमांक 178/2004 अंतर्गत 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.सं. में दिनांक 31.08.2004 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 25.07.2004 को समय रात्रि 8:00 बजे, ग्राम रणगौव तलाईपुरा दवाना में फरियादी काशीराम व उसका बीच-बचाव करने आये पत्नि सुनिताबाई व पुत्री योगिता, बबीता व पुत्र विक्की को सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय से लात-मुक्कों, लाठी, बैल्ट आदि से स्वैच्छया उपहति कारित करने, साथ ही उक्त काशीराम को मों-बहन व अन्य अपशब्द कहते साशय अपमानित करने तथा भविष्य में जान से मार देने की धमकी देकर साशय आपराधिक अभित्रास भी कारित करने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 323 या 323/34 (5 शीर्ष), 504, 506 (1) भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण में पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि प्रकरण के अभियुक्तगण की रिपोर्ट के आधार पर फरियादी काशीराम, सुनिताबाई, विक्की एवं योगिताबाई के विरुद्ध काउन्टर प्रकरण थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 177/2004 पर दर्ज हुआ था जिसमें फरियादीगण के विरुद्ध भा. द.स. की धारा 326, 323, 326/34 का आपराधिक प्रकरण क्रमांक 442/2004 इसी न्यायालय में लंबित है।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि फरियादी काशीराम पुराने कपड़े विक्रय करने का कार्य करता है। घटना दिनांक 29.07.2004 को रात्रि लगभग 8:00 बजे फरियादी खाना खाने बैठा था, उसकी पत्नी खाना दे रही थी तथा उसके पुत्र व पुत्रियाँ टी.व्ही. देख रहे थे। इतने में अभियुक्त संजय, पंचम और गजानन आये और आवाज दी कि टेलर है, बाहर आओ, तब फरियादी पुत्र विक्की ने कहा कि उसके पिताजी खाना खा रहे हैं, और फरियादी बाहर निकलकर आया तो अभियुक्त गजु ने फरियादी की कालर पकड़कर रोड़ पर पटक दिया। अभियुक्त संजय के हाथ में लट्ठ थी जो फरियादी को मारी जिससे उसे दाहिने पैर में घुटने के नीचे लगी। अभियुक्त पंचम ने बेल्ट से मारा जो पीठ व सीने में लगा। अभियुक्त गजानंद ने दोनों हाथों की अंगुलियों में और अंगूठे में काट लिया, इतने में फरियादी की पत्नी सुनिताबाई बीच-बचाव करने आई तो उसे भी अभियुक्तों ने लात-मुक्कों से मारपीट की व अभियुक्त संजय ने लकड़ी से मारपीट की तथा अभियुक्तों ने गॉलिया भी दी तथा अभियुक्तगण ने उसकी पत्नी को जमीन पर पटक दिया। विवाद होता देख फरियादी की दोनो पुत्रियाँ बबीता एवं योगिता तथा पुत्र विक्की आहर आये बीच-बचाव करने लगे, तब उन्हें भी अभियुक्तों ने लात-मुक्कों व लकड़ी, बेल्ट से मारपीट की। घटना में बीच-बचाव देवीसिंह, जगदीश, छतर ने किया। पुलिस ने फरियादी काशीराम द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 178/2004 अंतर्गत धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षी जगदीश की निशांदैही से घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 6 बनाया। अभियुक्त पंचम से पुलिस ने साक्षियों के समक्ष एक बेल्ट लेदर का जप्त कर प्रदर्शपी 11 का तथा अभियुक्त संजय से साक्षियों के समक्ष एक लट्ठ जप्त कर प्रदर्शपी 12 का जप्ती पंचनामा बनाया, अभियुक्तगण संजय, गजु, पंचम एवं संगीता को गिरफ्तार कर क्रमशः प्रदर्शपी 7 लगायत 10 के गिरफ्तारी पंचनामे बनाये व अनुसंधान के दौरान फरियादी काशीराम, साक्षीगण सुनीताबाई, विक्की, बबीता, योगिता, जगदीश, छतरसिंह, देवेसिंह, व राजकुमार के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र अंतर्गत धारा 294, 323, 506 सहपठित धारा 34 भा.द.स. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री अरुण कुमार वर्मा, तत्कालिन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध धारा भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में साक्ष्य देना व्यक्त किया लेकिन किसी भी साक्षी का परीक्षण बचाव साक्ष्य के रूप में नहीं कराया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि –

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 25.07.2004 को समय रात्रि 8:00 बजे, ग्राम रणगाँव तलाईपुरा दवाना में फरियादी काशीराम व उसका बीच-बचाव करने आये पत्नि सुनिताबाई व पुत्री योगिता, बबीता व पुत्र विक्की को सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय से लात-मुक्कों, लाठी, बैल्ट आदि से स्वैच्छया उपहति कारित की ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर काशीराम को माँ-बहन व अन्य अपशब्द कहते साशय अपमानित किया ?

3. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर भविष्य में जान से मार देने की धमकी देकर साशय आपराधिक अभित्रास भी कारित किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में डॉ. आर.एस. तोमर (अ.सा.1), काशीराम (अ.सा.2), सुनिता (अ.सा.3), विक्की (अ.सा.4), बबीता (अ.सा.5), देवीसिंग (अ.सा.6), छतरसिंह (अ.सा.7), बी.एस. बघेल (अ.सा.8), योगिता (अ.सा.9), जगदीश (अ.सा.10) अशोक (अ.सा.11) एवं हुकुम (अ.सा.12) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार
उक्त विचारीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी काशीराम अ.सा.2 का कथन है कि सुनिता उसकी पत्नी है, योगिताबाई, बबीताबाई उसकी पुत्री है विक्की, उसका पुत्र है। वह सभी अभियुक्तों को जानता हैं ढेड़ वर्ष पूर्व शाम के 8:00 बजे की बात है। गुरुवार के दिन वह घर पर खाना खा रहा था, उसकी पत्नी उसे खाना दे रही थी। उसके पुत्र टी.व्ही. देख रहै थे। सभी अभियुक्तगण उसके घर के बाहर आये व गाली-गलोच कर रहे थे। उसके पुत्र ने अभियुक्त संजय से पूछा कि क्या हो गया है, गॉलिया क्यों दे रहा है तो संजय ने कहा कि वह अपने पिता को घर से बाहर निकालों तब वह अपने घर के बाहर निकला तब अभियुक्त गजानंद ने उसकी शर्ट की कालर पकड़ ली और उसके साथ झुमा-झटकी की। अभियुक्त संजय के हाथ में लट्ट था और मारा जो दाहिने पैर के घुटने में लगा। पंचम ने बैल्ट से उसे मारा जो दाहिने हाथ की बीच की अंगुली में चोंटे आई। उसकी पत्नी एवं पुत्र एवं पुत्री बचाने आये तो अभियुक्तों ने भी उनके साथ बैल्ट एवं लकड़ी से मारपीट की थी। अभियुक्ता संगीता ने उसकी पत्नी तथा पुत्री योगिता को लकड़ी से मारा। अभियुक्त पंचम ने भी उसकी पत्नी को बैल्ट से मारा। मौके पर उसके मोहल्ले के रहने वाले देवीसिंह एवं छतरसिंह आये, जिन्होंने बचाया। उसे रास्ते में 8:00-8:30 बजे थाना ठीकरी पर रिपोर्ट की थी जो प्रदर्शपी 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था। पुलिस ने उसे, उसकी पत्नी एवं बच्चों को ईलाज के लिए भेजा था।

8. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह कक्षा 8 वीं तक पढ़ा है। पुलिस ने उसे रिपोर्ट पढ़कर बताई थी। उसे प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में अपने दाहिने हाथ अंगुली में बैल्ट लगने, उसकी पत्नी को पंचम द्वारा बैल्ट मारने और किस अभियुक्त ने उसकी पत्नी को किस हथियार से मारा था, यह बाते लिखा दी थी यदि नहीं लिखी हो तो कारण नहीं बता सकता है। उसने प्रदर्शपी 1 की रिपोर्ट में यह भी लिखा दिया था कि उसकी पत्नी एवं बच्चों को चोंटें आई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी अभियुक्तों से बोलचाल पहले से बंद है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह घटना दिनांक को मदिरापान किया हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने एवं उसके परिवार के लोगों ने अभियुक्तों के साथ उनके घर के बाहर जाकर मारपीट की थी और उसने चाकु से अभियुक्त गजु का दाहिना कान काट लिया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने अभियुक्तों को जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि अभियुक्त गजु ने उसके विरुद्ध थाना ठीकरी में रिपोर्ट की थी और उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण न्यायालय में चल रहा है। साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शपी 1 में अपने दाहिने हाथ की अंगुली पर पंचम द्वारा बैल्ट मारने और किस अभियुक्त द्वारा किस चीज से मारने से उन्हें चोंट आई थी, यह लिखाना स्वीकार

किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह जब रिपोर्ट करने गया तब गजानंद थाने पर बैठा था और उसके पहुँचने के पूर्व ही अभियुक्तों ने रिपोर्ट लिखा दी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने उसके एवं उसके परिवार के साथ मारपीट नहीं की थी अथवा उसे गिरने से चोट आई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों की रिपोर्ट से बचने लिए वह असत्य कथन कर रहा है।

9. सुनिताबाई असा 3, विक्की असा 4, बबीता असा 5, योगिता असा 9 ने भी काशीराम असा 2 के कथनों का समर्थन करते हुए उनके घर के सामने आकर गाली-गलोच करने और काशीराम को पकड़कर उसके साथ बेल्ट एवं लकड़ी से मारपीट करने और बचाने का प्रयास करने पर उनके साथ मारपीट करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि देवीसिंग, छतरसिंह एवं जगदीश ने उसे बचाया था फिर वे रिपोर्ट करने गये थे। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी सुनिता असा 3 ने स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रदर्शनी 2 के कथन में यह बताया था कि उसके पति की अंगुली में काटा है और अभियुक्त पंचम ने उसे बेल्ट से, अभियुक्त संजय ने लाठी से और अभियुक्त गजु ने झापड़ से मारा था। उसने यह भी पुलिस को बताया था कि किस-किस अभियुक्त ने किस-किस वस्तु से उसकी पुत्री को मारा था। उक्त बातें उसने पुलिस कथन प्रदर्शनी 2 में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि अभियुक्तों ने भी उनके विरुद्ध थाना ठीकरी में रिपोर्ट की थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसका पति मदिरापान करता है लेकिन घटना के समय मदिरापान नहीं किया हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसके एवं उसके परिवार के साथ अभियुक्तों ने मारपीट की थी और उसके पति का अभियुक्त गजु ने कान काट लिया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी रिपोर्ट के पूर्व ही अभियुक्तों ने रिपोर्ट लिखा दी थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी रिपोर्ट से बचने के लिए असत्य कथन रही है।

10. विक्की असा 4 ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि मारपीट होते समय वह घर के अंदर था। उसने पुलिस को प्रदर्शनी 3 के कथन में अभियुक्त संजय द्वारा गॉलिया देने और पंचम द्वारा बेल्ट से पीठ पर मारने की बात बताई थी। उसने पुलिस को यह भी बता दिया था कि अभियुक्तों ने उसके पिता को दोनों हाथों की अंगुली में दातों से काट लिया था। यदि उक्त बातें उसके पुलिस कथन प्रदर्शनी 3 में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसकी अभियुक्तों से घटना के पूर्व से बोलचाल बंद है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने अभियुक्तों के साथ विवाद, मारपीट की थी और उसके पिता ने अभियुक्त गजानंद का कान काट लिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि गजानंद की रिपोर्ट के आधार पर उनके विरुद्ध भी इसी न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने उक्त घटना से बचने के लिए अभियुक्त से बचने के लिए मिथ्या रिपोर्ट लिखाई है।

11. बबीता असा 5 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने पुलिस को 8-10 दिन बाद कथन दिये थे। उसने अभियुक्तों द्वारा बेल्ट से मारने एवं पीठ एवं सिर में चोट होने की बात प्रदर्शनी 4 के कथन में लिखा दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि मारपीट में केवल उसके पिता को चोटें आई थी, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने एवं उसके परिवार के लोगों ने अभियुक्तों के साथ मारपीट की थी और उसके पिता ने अभियुक्त गजानंद का कान काट लिया था।

12. योगिता असा 9 ने भी प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि बाहर से आवाज आने पर वह बाहर गई थी। उसने अपने पुलिस कथन में यह बता दिया था कि उसे एवं उसकी बहन को चोटें आई थी तथा अभियुक्तों ने उनके साथ मारपीट की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उन्होंने गजानंद के साथ मारपीट की थी और उसके पिता ने चाकु से गजानंद का कान काट लिया था तथा उन्होंने शेष अभियुक्तों के साथ मारपीट कर उनके साथ गली-गलोच की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसके पिता एवं माता को अभियुक्तों से मारपीट करने के दौरान गिरने से चोटें आई थी।

13. डॉ.आर.एस. तोमर असा 1 का कथन है कि दिनांक 30.07.2004 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, ठीकरी में आरक्षक थानसिंह द्वारा लाने पर आहत सुनिताबाई पति काशीराम का मेडिकल परीक्षण करने पर उसे एक रगड़ का निशान बायीं जांघ पर 4X2 इंच का पाया था तथा विक्की पिता काशीराम का मेडिकल परीक्षण करने पर बायें घुटने पर रगड़ का निशान, दायें कंधे पर रगड़ का निशान एवं कंधे पर बायीं ओर रगड़ का निशान पाया था। उसने आहत काशीराम का मेडिकल परीक्षण करने पर बायें अंगुठे पर फटा हुआ घाव मासपेशियों की गहराई तक तथा 3 रगड़ के निशान क्रमशः दाहिने हाथ की अंगुली पर सीने के सामने की ओर तथा दाहिने हाथ पर होना पाये थे। साक्षी ने सभी आहत को आई चोटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से परीक्षण के 24 घंटे के भीतर साधारण प्रकृति की होना बताया तथा अपना परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शनी 1 लगायत 3 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि आहतों को आई उक्त सभी चोटें गिरने-पढ़ने एवं रगड़ाने से आना संभव है।

14. देवीसिंग असा 6, छतरसिंह असा 7, जगदीश असा 10 को अभियोजन द्वारा घटना के समय उपस्थित होना बताया गया है, लेकिन उक्त किसी भी साक्षी ने अभियुक्तों एवं फरियादीगण को जानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने अभियोजन के इस सुझावों से स्पष्ट इंकार किया कि घटना, समय दिनांक व स्थान पर अभियुक्तों ने साक्षियों के साथ थप्पड़, हाथ

मुक्कों एवं बेल्ट से मारपीट की थी, जिससे उन्हें चोटें आई थीं। अशोक असा 11 एवं हुकुम असा 12 ने भी पुलिस द्वारा अपने सामने अभियुक्तों से कोई भी वस्तु जप्त करने से इंकार किया कि साक्षी ने प्रदर्शपी 7 से 12 के पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह अभियुक्तों को बचाने के लिए असत्य कथन कर रहे हैं।

15. सहायक उपनिरीक्षक बी.एस.बघेल असा 8 का कथन है कि दिनांक 30.07.2004 को थाना ठीकरी में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। थाने के अपराध क्रमांक 178/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उसने जगदीश के बताये अनुसार प्रदर्शपी 6 का नक्शा मौका पंचनामा बनाया था। उसने साक्षियों एवं फरियादी के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त पंचम से एक लेदर बेल्ट प्रदर्शपी 11 के अनुसार तथा अभियुक्त संजय से एक लाठी प्रदर्शपी 12 के अनुसार जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त जप्त वस्तुएँ बाजार में आसानी से मिल जाती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि फरियादी एवं उसके परिवार वालों के विरुद्ध भी अभियुक्तों द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई जिसका अनुसंधान मेरे द्वारा किया गया। साक्षी ने प्रदर्शपी 4 का पंचनामा बनाने और काशीराम से एक चाकु जप्त करने, फरियादी विक्की से एक बांस की लकड़ी एवं योगिता से एक लकड़ी जप्त करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि आहत गजु का कान कट जाने से उसे गंभीर चोट आने से भा.द.स. की धारा 325 बढ़ाई गई है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने असत्य विवेचना की है।

16. स्पष्ट रूप से फरियादी काशीराम असा 2 तथा आहत साक्षीगण सुनिता विक्की, बबीता एवं योगिता ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि प्रकरण के अभियुक्त गजानंद ने भी उनके विरुद्ध थाना ठीकरी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी और उक्त रिपोर्ट काशीराम असा 2 द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट के पूर्व लिखाई जाना काशीराम असा 2 ने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। प्रकरण के विवेचना अधिकारी ने बी.एस. बघेल असा 8 ने भी अभियुक्तगण द्वारा फरियादी एवं साक्षियों के विरुद्ध काउन्टर प्रकरण दर्ज कराना स्वीकार किया है। साक्षी ने यहाँ तक स्वीकार किया है कि काउन्टर प्रकरण में अभियुक्त गजु (जो कि उस प्रकरण में आहत/फरियादी है) का कान कट जाने से भा.द.स. की धारा 326 बढ़ाई गई। उक्त काउन्टर प्रकरण क्रमांक 442/2004 में घटना की दिनांक, समय व स्थान वही है जो कि इस प्रकरण में है तथा उक्त प्रकरण में अभियुक्त गजु को धारदार वस्तु से स्वैच्छया घोर उपहति कारित करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध भा.द.स. की धारा 326 का आरोप है। ऐसी स्थिति में जबकि इस प्रकरण के अभियुक्त गजानंद को अधिक गंभीर प्रकृति की चोट है तथा उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट भी इस अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के पूर्व लिखाई गई है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्तों का यह बचाव संभावित प्रतीत होता है कि इस प्रकरण के फरियादीगण ने अभियुक्त

गजानंद एवं उसके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की घटना कारित की जिसकी रिपोर्ट उनके द्वारा किये जाने पर फरियादीगण ने बाद में जाकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई और फरियादीगण को अभियुक्तों द्वारा पहुँचाई गई चोटों अपने सामान्य प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए पहुँचाई गई है जो कि अभियुक्तों द्वारा अपने शरीर की युक्तियुक्त प्रतिरक्षा करते हुए फरियादीगण को पहुँचाई गई है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण भा.द.स. की धारा 96 के प्रावधान के अनुसार प्रायवेत प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए फरियादीगण को पहुँचाई गई चोटों के संबंध में संरक्षण पाने के अधिकारी प्राप्त होते हैं तथा उनके द्वारा फरियादीगण को पहुँचाई गई चोटों अपराध की श्रेणी में नहीं आती है क्योंकि फरियादीगण को आई चोटें सामान्य प्रकृति की हैं जबकि इसके विपरीत अपराधिक प्रकरण क्रमांक 442/2004 में (फरियादी गजु) को पहुँचाई गई चोटों के संबंध में फरियादीगण के विरुद्ध भादस की धारा 326 तथा 326/34 का अपराध विचारणीय है।

17. उक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय का अनुसरण करते हुए आहत काशीराम, योगिता, बबीता एवं विक्की एवं सुनिता को सख्त अथवा बोथरी वस्तु हाथ-मुक्कों, बेल्ट, लाठी आदि से उन्हें स्वैच्छया उपहति कारित की। अभियोजन यह भी प्रमाणित करने में सफल नहीं हरा है कि अभियुक्तों ने उक्त आहतों को लोक शांति प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमानित किया या उन्हें जान से मार डालने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

18. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तों के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय तीनों प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 323 या 323/34 (5 शीर्ष), 504, 506 (1) भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा लट्ठ लकड़ी का, बेल्ट अपील अवधि पश्चात् मूल्यहीन होने से अपील न होने की दशा में नष्ट किये जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

